संख्या– 564 /एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2020**

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु कोविड मरीजों की सैम्पलों की जॉच दर बढ़ाने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–919/71–3–2020–कोविड–06/2020, दिनांक 31.08.2020 एवं जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0–1944/आ0प्र0सहा0–2020, दिनांक 27.08.2020 में किये गये अनुरोध के क्रम में आई0वी0आर0आई0 लैब में कोविड–19 मरीजों के सैम्पलों की जांच दर बढाने हेतु रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। उक्त मांग के क्रम में जिलाधिकारी, बरेली द्वारा आई0वी0आर0आई0 लैब में सैम्पल टेस्टिंग व उपचार के लिए आवश्यक कोरोना टेस्टिंग लैब में कन्ज्यूमेबल्स, कोविड वॉर्ड हेतु कन्ज्यूमेबल्स तथा क्लीनिक उपचार हेतु जीवन रक्षक औषधि के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 200.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

(2) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– 05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिज़ास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–564(1)/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-09/09/2020

प्रेषण संख्या:- 564
आवंटन आदेश संख्या:- 148-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40450000	20000000 40450000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20000000 40450000	20000000 40450000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ चार लाख पचास हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी